प्रतिवेदित

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार

वर्ष 2018 का आपराधिक अपील संख्या 177

राहुल कुमार यादव **.....अपीलार्थी**

बनाम

बिहार राज्य **.....उत्तरदाता**

के साथ

वर्ष 2018 का आपराधिक अपील संख्या 214

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000---धारा 7-ए---किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015---धारा 9 (2)---अपीलार्थी को भा.दं.सं की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया और उसे आजीवन कारावास की सजा दी गई-- निचली अदालत और उच्च न्यायालय में अपीलार्थी की ओर से यह दावा करते हुए याचिका दायर की गई कि वह घटना की तारीख को नाबालिग था जिसे खारिज कर दिया गया था - अभिनिर्धारित- जे. जे. अधिनियम, 2015 की धारा 9 (2) के प्रावधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किशोरता की याचिका किसी भी अदालत के समक्ष उठाई जा सकती है और इसे किसी भी स्तर पर मान्यता दी जाएगी। , मामले के अंतिम निपटारे के बाद भी-निचली अदालत के समक्ष जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था और उम्र के निर्धारण के लिए एक याचिका दायर की गई थी-अपीलार्थी द्वारा उठाई गई किशोरता की याचिका को जेजे अधिनियम, 2000 या जेजे अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार उचित जांच किए बिना खारिज नहीं किया जा सकता था-अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-I, दरभंगा ने 12 सप्ताह के भीतर अपीलार्थी की उम्र/जन्म तिथि निर्धारित करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए पूरी तरह से जांच करने का निर्देश दिया।

प्रतिवेदित

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार

वर्ष 2018 का आपराधिक अपील संख्या 177

राहुल कुमार यादव .....अपीलार्थी

बनाम

बिहार राज्य .....उत्तरदाता

के साथ

वर्ष 2018 का आपराधिक अपील संख्या 214

आदेश

मेहता, न्यायमूर्ति

2018 की आपराधिक अपील संख्या 177

1. यह अपील अपीलार्थी-राहुल कुमार यादव द्वारा 30 अप्रैल, 2014 और 29 जून, 2017 के पटना उच्च न्यायालय की विद्वत खंड पीठ ने 2013 की आपराधिक अपील संख्या 518 में पारित निर्णय के आधार पर दायर किया है।

2. अपीलार्थी और सह-अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता, 1860 (इसके बाद 'आई. पी. सी.' के रूप में संदर्भित) और शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 27 (2) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए 2011 के सत्र विचारण संख्या 441 में प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दरभंगा (इसके बाद 'विचारण न्यायालय' के रूप में संदर्भित) द्वारा मुकदमा चलाया गया था।

निचली अदालत ने 9 अप्रैल, 2013 के फैसले के माध्यम से अपीलार्थी और सह-अभियुक्त को ऊपर बताए गए अपराधों के लिए दोषी ठहराया और आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत आरोप को रद्द करते हुए उन्हें मौत की सजा सुनाई।

3. अभियुक्त ने पटना उच्च न्यायालय में अपील दायर करके उक्त फैसले पर हमला किया। निचली अदालत द्वारा मृत्युदंड की पुष्टि के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 366 के तहत एक संदर्भ भी दिया गया था। पटना उच्च न्यायालय की खंड पीठ के विद्वान न्यायाधीशों ने 30 अप्रैल, 2014 के फैसले के माध्यम से एक विभाजित राय दी, जिसमें एक विद्वान न्यायाधीश ने राय दी कि अपील योग्यता से रहित थी और अन्य विद्वान न्यायाधीशों ने राय दी कि अपील को अनुमति दी जानी चाहिए और आरोपी अलग-अलग राय देकर बरी होने के हकदार थे। उन्हें संदेह का लाभ मिलता है। खंड पीठ के विद्वान न्यायाधीशों के बीच मतभेद को देखते हुए, मामले को पटना उच्च न्यायालय के तीसरे विद्वान एकल न्यायाधीश के पास भेजा गया, जिन्होंने 29 जून, 2017 के फैसले के माध्यम से अपील को खारिज कर दिया, लेकिन अपीलार्थी और सह-अभियुक्त को दी गई मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया।

4. यहां यह कहा जा सकता है कि मामला होने से पहले ही, अपीलार्थी ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 7-ए के तहत (इसके बाद, जेजे अधिनियम, 2000 के रूप में संदर्भित किया जा रहा है) विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष एक आवेदन दायर किया था, जिसमें दावा किया गया था कि वह घटना की तारीख, यानी 27 जुलाई, 2011 को एक किशोर था। उक्त आवेदन में, अपीलार्थी द्वारा अपनी कुंडली पर निर्भरता रखी गई थी। हालांकि, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने उक्त आवेदन को खारिज कर दिया।

5. जब मामला मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा निचली अदालत को सौंपा गया था, तो अपीलार्थी द्वारा जेजे अधिनियम, 2000 की धारा 7-ए के तहत एक नई याचिका दायर की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि वह विधि विवादित किशोर है, जिसे 28 नवंबर, 2011 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था इस तथ्य पर विचार करते हुए कि पहले अपलार्थी द्वारा इस तरह के प्राथमिकता दी गई आवेदन को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने खारिज कर दिया था।

6. इस अपील में अदालत को संबोधित करते हुए, अपीलार्थी का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री रउफ रहीम ने शुरुआत में प्रस्तुत किया कि निचली अदालत में अपीलार्थी की ओर से की गई याचिका जिसमें दावा किया गया था कि वह घटना की तारीख को नाबालिग था, को उचित जांच किए बिना और केवल इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि उसी प्रार्थना को विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा पहले खारिज कर दिया गया था।

7. यहां तक कि उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में भी, अपीलार्थी की ओर से एक प्रासंगिक याचिका दायर की गई थी कि वह घटना की तारीख को एक किशोर था और इस प्रकार, निचली अदालत में उसके खिलाफ की गई कार्यवाही को दूषित कर दिया गया था। हालाँकि, उच्च न्यायालय भी उक्त प्रार्थना का उल्लेख करने में विफल रहा। इस प्रकार उन्होंने आग्रह किया कि अपीलार्थी की आयु निर्धारित करने के लिए एक जांच का निर्देश दिया जाना चाहिए ताकि कानून के अनुसार उसकी किशोरता की याचिका पर निर्णय लिया जा सके।

8. *इसके विपरीत*, राज्य के विद्वान वकील श्री अजमत हयात अमानुल्लाह ने श्री रउफ रहीम की दलीलों का विरोध किया और आग्रह किया कि अपीलार्थी की ओर से उठाई गई किशोरता की अत्यधिक विलंबित याचिका पर इस न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जाना चाहिए।

9. हमने अपीलार्थी की ओर से आगे की गई दलीलों पर विचारपूर्वक विचार किया है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का भी अध्ययन किया है।

10. निर्विवाद रूप से, पटना उच्च न्यायालय के समक्ष अपील के लंबित रहने के दौरान, किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जिसे इसके बाद 'जेजे अधिनियम 2015' के रूप में संदर्भित किया जा रहा है) लागू हुआ था, जो अपराध की तारीख पर बच्चा होने का दावा करने वाले आरोपी की ओर से की गई किशोरता की प्रार्थना पर विचार करने के लिए एक व्यापक तंत्र प्रदान करता है। जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 9 (2) के प्रावधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किशोरता की याचिका किसी भी न्यायालय के समक्ष उठाई जा सकती है और मामले के अंतिम निपटारे के बाद भी इसे किसी भी स्तर पर मान्यता दी जाएगी। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की ओर से उठाए गए किशोरता के अनुरोध पर विचार नहीं किया और निर्णय नहीं लिया।

11. इस न्यायालय के कई निर्णय हैं जो यह मानते हैं कि किशोरता की याचिका, भले ही निचली अदालत या उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं ली गई हो, इस न्यायालय के समक्ष उठाई जा सकती है।

12. इस न्यायालय के समक्ष पहली बार उठाए गए किशोरता के दावे के मूल्यांकन के लिए मानकों को निर्धारित करने वाले दिशानिर्देश इस न्यायालय द्वारा **अबुज़र हुसैन बनाम पश्चिम बंगाल राज्य**[1] के मामले में निर्धारित किए गए थे, जिन्हें नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

"**39.** अब, हम उस स्थिति को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं जो इस प्रकार हैः

39.1. मामले के अंतिम निपटारे के बाद भी किसी भी स्तर पर किशोरता का दावा किया जा सकता है। इसे पहली बार इस न्यायालय के समक्ष और मामले के अंतिम निपटारे के बाद भी उठाया जा सकता है। किशोरावस्था के दावे को उठाने में देरी इस तरह के दावे

को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकती है। किशोरता का दावा अपील में उठाया जा सकता है, भले ही निचली अदालत के समक्ष दबाव न डाला जाए और इस अदालत के समक्ष पहली बार उठाया जा सकता है, हालांकि निचली अदालत और अपील अदालत में दबाव नहीं डाला गया हो।

39.2. दोषसिद्धि के बाद किशोरता के संबंध में दावा प्रस्तुत के लिए, दावेदार को कुछ ऐसी सामग्री प्रस्तुत करनी चाहिए जो प्रथम दृष्टया अदालत को संतुष्ट कर सके कि किशोरता के दावे की जांच आवश्यक है। किशोरावस्था का दावा करने वाले व्यक्ति को प्रारंभिक बोझ उठाना पड़ता है।

39.3. इस बारे में कि कौन सी सामग्री प्रथम दृष्टया अदालत को संतुष्ट करेगी और/या प्रारंभिक बोझ के निर्वहन के लिए पर्याप्त है, इसे सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता है और न ही यह निर्धारित किया जा सकता है कि किसी विशिष्ट साक्ष्य को कितना महत्व दिया जाना चाहिए जो किशोरता की धारणा को बढ़ाने के लिए पर्याप्त हो सकता है, लेकिन नियम 12 (3) (ए) (आई) से (iii) में निर्दिष्ट दस्तावेज निश्चित रूप से नियम 12 के तहत आगे की जांच की आवश्यकता के बारे में अदालत की प्रथम दृष्टया संतुष्टि के लिए पर्याप्त होंगे। संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया बयान बहुत अस्थायी है और किशोरावस्था के दावे को सही ठहराने या अस्वीकार करने के लिए अपने आप में पर्याप्त नहीं हो सकता है। दोषसिद्धि के बाद प्राप्त स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र या मतदाता सूची आदि जैसे दस्तावेजों की विश्वसनीयता और/या स्वीकार्यता प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगी और कोई कठोर और त्वरित नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि उन्हें प्रथम दृष्टया स्वीकार या अस्वीकार किया जाना चाहिए। अकबर शेख [(2009) 7 एस. सी. सी. 415] और पवन [(2009) 15 एस. सी. सी. 259] में ये दस्तावेज प्रथम दृष्टया विश्वसनीय नहीं पाए गए, जबकि जितेंद्र सिंह [(2010) 13 एस. सी. सी. 523] में स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र, अंकपत्र और

चिकित्सा रिपोर्ट जैसे दस्तावेजों का अपीलार्थी की उम्र की जांच और सत्यापन का निर्देश देने के लिए पर्याप्त है। यदि ऐसे दस्तावेज प्रथम दृष्टया अदालत के विश्वास को प्रेरित करते हैं, तो अदालत धारा 7-ए के उद्देश्यों के लिए ऐसे दस्तावेजों पर कार्रवाई कर सकती है और अपराधी की उम्र के निर्धारण के लिए जांच का आदेश दे सकती है।

39.4. दावाकर्ता या माता-पिता में से किसी का या भाई-बहन या किसी रिश्तेदार का मामले के लंबित रहने के दौरान या मामले के निपटारे के बाद पहली बार अपील या संशोधन में या इस न्यायालय के समक्ष उठाए गए किशोर होने के दावे के समर्थन में एक हलफनामा ऐसे व्यक्ति की उम्र निर्धारित करने के लिए एक जांच को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, जब तक कि मामले की परिस्थितियां इतनी स्पष्ट न हों कि अदालत की न्यायिक विवेक को अपराधी की उम्र के निर्धारण की जांच का आदेश देने के लिए संतुष्ट करे।

39.5. जिस न्यायालय में पहली बार किशोरता की याचिका दायर की जाती है, उसे हमेशा 2000 के अधिनियम के उद्देश्यों से निर्देशित होना चाहिए और इस स्थिति में रहना चाहिए कि 2000 के अधिनियम में निहित लाभकारी और हितकारी प्रावधान अति-तकनीकी दृष्टिकोण से पराजित नहीं होते हैं और जो व्यक्ति 2000 के अधिनियम का लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं, उन्हें ऐसे लाभ मिलते हैं। अदालतों को अनावश्यक रूप से किसी भी सामान्य धारणा से प्रभावित नहीं होना चाहिए कि स्कूलों में माता-पिता/अभिभावक भविष्य के लाभों के लिए अपने बच्चों की उम्र को एक या दो साल से कम करते हैं या चिकित्सा परीक्षा द्वारा आयु निर्धारण बहुत सटीक नहीं है। इस मामले पर प्रथम दृष्टया संभावना की प्रधानता की कसौटी पर विचार किया जाना चाहिए।

40. संदर्भ का उत्तर पैरा 39.1 से 39.6 तक में उल्लिखित स्थिति के संदर्भ में दिया गया है। मामलों को अब निपटान के लिए संबंधित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा। ”

13. **विनोद कटारा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**[2] के मामले में, इस न्यायालय ने संबंधित सत्र न्यायालय को कानून के अनुसार अभियुक्त की आयु के बारे में पूछताछ करने का निर्देश दिया, भले ही उसकी आयु 50 वर्ष से अधिक हो गई हो और दोषसिद्धि के खिलाफ उसकी अपील को इस न्यायालय द्वारा देर से किशोर होने की अवस्था याचिका के निर्धारण के पहलू को ध्यान में रखते हुए खारिज कर दिया गया था। उक्त निर्णय के प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैंः-

“51. आदर्श रूप से, किसी व्यक्ति की उम्र के बारे में कोई विवाद नहीं होना चाहिए यदि जन्म कानून के अनुसार पंजीकृत है और जन्म की तारीख जन्म के वास्तविक अभिलेख के आधार पर स्कूल के अभिलेख में दर्ज की गई है। हालाँकि, भारत में, गरीबी, निरक्षरता, अज्ञानता, उदासीनता और व्यवस्था की अपर्याप्तता जैसे कारकों के कारण अक्सर किसी व्यक्ति की उम्र का कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं होता है। इसलिए, उन मामलों में जहां किशोरावस्था की याचिका विलंबित स्तर पर उठाई जाती है, अक्सर अधिनियम 2015 की धारा 94 में उल्लिखित दस्तावेजों के अभाव में चारा निर्धारण के लिए कुछ चिकित्सा परीक्षणों का सहारा लिया जाता है। किशोरावस्था की याचिका को काफी विलंबित स्तर पर उठाने की अनुमति देने वाले नियम का समकालीन बाल अधिकार न्यायशास्त्र में अपना तर्क है जिसके लिए हितधारकों को बच्चे के सर्वोत्तम हित में कार्य करने की आवश्यकता होती है।

54. किशोर न्याय प्रणाली के कार्यकर्ताओं में बच्चे के अधिकारों और सहसंबद्ध कर्तव्यों के बारे में जागरूकता कम रहती है। एक बार जब कोई बच्चा वयस्क आपराधिक न्याय प्रणाली के जाल में फंस जाता है, तो बच्चे के लिए इससे बाहर निकलना मुश्किल हो

जाता है। कड़वी सच्चाई यह है कि कानूनी सहायता कार्यक्रम भी प्रणालीगत अड़चनों में उलझे हुए हैं और अक्सर कार्यवाही के काफी विलंबित चरण में ही व्यक्ति को अधिकारों के बारे में पता चलता है, जिसमें किशोरावस्था के आधार पर अलग व्यवहार करने का अधिकार भी शामिल है।

55. किशोर न्याय अधिनियम का मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इस कानून का ध्यान किशोर के सुधार और पुनर्वास पर है ताकि उसे भी अन्य बच्चों की तरह आनंद लेने का अवसर मिल सके। प्रताप सिंह (उपरोक्त) में, इस न्यायालय ने किशोर न्याय अधिनियम के उद्देश्यों और लक्ष्यों के बारे में विस्तार से बताते हुए निम्नलिखित टिप्पणियां कींः-

"...उक्त अधिनियम न केवल एक लाभकारी विधान है, बल्कि एक उपचारात्मक भी है। इस अधिनियम का उद्देश्य वयस्क अपराधियों की तुलना में किशोर की देखभाल, संरक्षण और पुनर्वास प्रदान करना है। किशोर न्याय प्रशासन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानक न्यूनतम नियमों के नियम 4 को ध्यान में रखते हुए, यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि आपराधिक जिम्मेदारी के नैतिक और मनोवैज्ञानिक घटक भी किशोर को परिभाषित करने वाले कारकों में से एक थे। इसलिए, पहला उद्देश्य किशोर की भलाई को बढ़ावा देना है और दूसरा उद्देश्य आनुपातिकता का सिद्धांत लाना है जिसके तहत और जिसके तहत दोनों की परिस्थितियों के लिए प्रतिक्रिया की आनुपातिकता अपराधी और पीड़ित सहित अपराध को सुरक्षित रखा जाना चाहिए। ...."

14. वर्तमान मामले में, अपीलार्थी ने विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष कुंडली के आधार पर किशोरावस्था का दावा करते हुए जल्द से जल्द एक आवेदन दायर किया। उक्त आवेदन को खारिज कर दिया गया। हालांकि, निचली अदालत के समक्ष जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था और उम्र के निर्धारण के लिए एक याचिका दायर की गई थी। विद्वत विचारण

न्यायालय ने उक्त प्रार्थना को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि भले ही जन्म प्रमाण पत्र वर्ष 1995 में जारी किया गया था, लेकिन इसे विद्वत मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष पहले दायर आवेदन के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया था।

15. अभिलेख को देखने पर, हम पाते हैं कि जे. जे. अधिनियम, 2000 या जे. जे. अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार उचित जांच नहीं की गई थी ताकि अपीलार्थी द्वारा की गई प्रार्थना पर विचार किया जा सके कि उसे घटना की तारीख को किशोर माना जाए, भले ही याचिका जल्द से जल्द अवसर पर उठाई गई थी। बिना किसी संदेह के यह कहा जा सकता है कि अपीलार्थी द्वारा उठाई गई किशोरता की याचिका को उचित जांच किए बिना खारिज नहीं किया जा सकता था।

16. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, हम एतद्द्वारा निर्देश देते हैं कि प्रथम विद्वत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दरभंगा जेजे अधिनियम, 2015 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत प्रदान की गई प्रक्रिया के अनुसार अपीलार्थी की आयु/जन्म तिथि निर्धारित करने के लिए पूरी तरह से जांच करेंगे।

17. संबंधित पुलिस स्टेशन का स्टेशन हाउस अधिकारी दस्तावेजों/साक्ष्य के संग्रह की प्रक्रिया में प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को पूरी सहायता प्रदान करेगा ताकि जांच को सुविधाजनक बनाया जा सके। अभियुक्त के साथ-साथ अभियोजन पक्ष को भी कार्यवाही में भाग लेने का उचित अवसर प्रदान किया जाएगा।

18. यदि विचारण न्यायालय जाँच के दौरान अभिलेख पर रखे गए दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों के आधार पर एक तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचने में असमर्थ है, तो वह अंतिम उपाय के रूप में, **विनोद कटारा** (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी का अस्थीकरण परीक्षण आयोजित कर सकता है।

19. आज से 12 सप्ताह के भीतर जांच पूरी कर ली जाएगी।

20. इस आदेश की एक प्रति तुरंत जानकारी और अनुपालन के लिए प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दरभंगा को भेजी जाएगी।

21. प्रक्रिया के समापन पर, जांच रिपोर्ट इस न्यायालय को भेजी जाएगी और एक प्रति अभियुक्त और अभियोजन पक्ष को भी प्रदान की जाएगी।

22. यह मामला अगस्त, 2024 के तीसरे सप्ताह में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।

2018 की आपराधिक अपील संख्या 214

23. 2018 की आपराधिक अपील संख्या 177 के साथ सूचीबद्ध किया जाए।

.....न्यायमूर्ति

(बी. आर. गवई)

.....न्यायमूर्ति

(संदीप मेहता)

नई दिल्ली;

25 अप्रैल, 2024

[1] (2012) 10 एस सी सी 489

[2] 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन लाइन एस. सी. 1204

खण्डन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।